


पत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प पनोतिया

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पनोतिया
व भू.अ.नि. गि.लू.३३ की रिपोर्ट तथा ^{१५}तहसीलदार/नायब
तहसीलदार गि.लू.३३ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पनोतिया तहसील रेलभगरा व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् २०१७ में खाता संख्या ५५६, ५५५, ५५३ में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-


क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	पनोतिया	५५६ ५५५ ५५३ २५७	मधुदेव पुत्र कालुराम दासि खाती खा. देह	मधुदेव पुत्र कालुराम दासि सुधार खा. देह


सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
रेलभगरा

क्रमांक: १५५५/२०१७/२०
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- २९/९/२०

1. तहसीलदार गि.लू.३३ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट गिजवावे।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रायली।


सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
रेलभगरा